



राष्ट्रीय बचत संस्थान नागपुर केन्द्र द्वारा नागपुर में 15 अप्रैल 2006 को आयोजित महिला बचत दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए श्री अनिल भट्टाचार्य विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत संस्थान। साथ में (बायें से दायें) डा. पन्ना अखानी प्राचार्य, एल.ए.डी. कॉलेज, श्रीमती कविता परिहार, समन्वयक अंतरंग महिला चेतना मंच, श्री एस.के. त्रिपाठी, उपराष्ट्रीय बचत आयुक्त एवं श्री पद्मसिंह क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान, नागपुर केन्द्र.

राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा देश भर में महिला बचत दिवस का आयोजन

महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अभिकर्ता निवेशकों के द्वार पर सेवा प्रदान कर धन संग्रह करने एवं उसे डाकघर में जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला बचत दिवस आयोजित करने का उद्देश्य लोगों में जागृति लाकर धन संग्रहण में महिलाओं की भूमिकाओं को उजागर करना, महिला बचत दिवस के महत्त्व को प्रतिलिम्बित करना एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय बचत संस्थान प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को महिला बचत दिवस मनाता है। इस वर्ष भी 15 अप्रैल 2006 को पुरे देश में स्थित क्षेत्रीय मुख्यालयों में महिला बचत दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर विभिन्न अतिथियों द्वारा महिलाओं की भूमिका की सराहना की गई, विशेष रूप से महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत अभिकर्ताओं कि जो अल्प बचत के अंतर्गत अधिक से अधिक धन संग्रह करने हेतु अथक परिश्रम करती हैं क्योंकि राज्य में अल्प बचत के अंतर्गत जो धन जमा होता उसे राज्य सरकार विकास की योजनाओं पर खर्च करती है। इस आयोजन को दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रिंट मीडिया इत्यादि द्वारा विस्तृत रूप से प्रसारित किया गया। डी.ए.वी.पी. नई दिल्ली द्वारा 15 अप्रैल को देशभर के प्रमुख समाचार पत्रों में महिला बचत दिवस के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुये विशेष विज्ञापन प्रकाशित किये गये।





श्रीमती निरंजना मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक चेन्नई, 26 मार्च 2006 को राष्ट्रीय बचत संस्थान चेन्नई द्वारा बचत बैंक के कार्य से संबंधित डाक कर्मियों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम "उपभोक्ता संबंध प्रबन्धन" विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करती हुयी।

भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना मे संशोधन किया

वित्त मंत्रालय (आ.का.वि.) भारत सरकार ने सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 (1873 का पाँच) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 मे अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 176 (ई.) दिनांक 23.3.2006 द्वारा संशोधन किया है। इन नियमों का नाम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (संशोधित 2006) है। और ये नियम भारत के राज पत्र प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

इस संशोधित नियम के अंतर्गत जमाकर्ता फार्म-जी में अपने पास-बुक के साथ एक जमा कार्यालय से दूसरे जमा कार्यालय में खाता स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र देंगे बशर्ते जमा एक लाख या उससे अधिक हो, उक्त जमा धन राशी पर पाँच रुपये प्रति लाख पहले स्थानान्तरण पर एवं दस रुपये प्रतिलाख दूसरे एवं उसके बाद के स्थानान्तरण पर जमाकर्ता द्वारा देय होंगे।



श्री टी. दासरी अध्यक्ष समन्वय समिति एवं क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान कोलकाता समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुये जिसका आयोजन राष्ट्रीय बचत संस्थान, कोलकाता ने किया एवं जिसका उद्देश्य धन संग्रहण से जुड़ी एजेन्सीयों एवं अभिकर्ताओं में छोटे निवेशकों के प्रति जबाबदेही को बढ़ाना था।



श्री गुरप्रीत सिंह टिंड, सहायक आयुक्त संगरूर, राष्ट्रीय बचत संस्थान चंडीगढ़ द्वारा संगरूर में अल्प बचत अभिकर्ताओं के लिये आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुये दिखाई दे रहे हैं। साथ ही श्री एम.के. मलहोत्रा क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय बचत संस्थान चंडीगढ़, केन्द्र (बायें) तथा श्री के.के. शर्मा, सहायक निदेशक भी दिखाई दे रहे हैं (दायें)।

भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत अर्जित ब्याज के संबंध में स्रोत पर कटौती से संबंधित मामलों पर स्पष्टीकरण जारी किया

वित्त मंत्रालय (आ.का.वि.) भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सलाह से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 के अंतर्गत अर्जित ब्याज के संबंध में स्रोत पर कर कटौती संबंधी मामलों पर अपने अधिसूचना सं.एफ.नं. - 2-8/2004 - एन.एस. II दिनांक 28.3.2006 द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया।

चूंकि वरिष्ठ नागरिक जमा योजना 2004 में ब्याज भुगतान पर स्रोत पर आय में कटौति से छुट नहीं है, डाकघर और बैंक स्रोत पर आयकर की कटौति करेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फार्म संख्या 15 एच (आयकर नियम 1962 में निर्धारित) प्रस्तुत करने की सुविधा निवासी भारतीयों को ही है जो 65 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के हैं अथवा उन्होंने आयकर अधिनियम के अंतर्गत गत वर्ष में 65 वर्ष की आयु पुरी की है अथवा गत वर्ष में किसी भी समय पुरी की हो उन्हें ही वरिष्ठ नागरिक माना जायेगा।



श्री मीर अजमत अली, अध्यक्ष, समन्यवय समिति एवं क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान, बेंगलूर समन्यवय समिति की बैठक को संबोधित करते हुये जिसका आयोजन राष्ट्रीय बचत संस्थान, बेंगलूर ने किया एवं जिसका उद्देश्य धन संग्रहण से जुड़ी एजेन्सीयाँ एवं अभिकर्ताओं में छोटे निवेशकों के प्रति जवाबदेही को बढ़ाना था।

अप्रैल से जनवरी 2006 तक अल्प बचत संग्रहण

(करोड रुपये)

अनु. क्र.	क्षेत्र / राज्य	सकल	शुद्ध	सकल	शुद्ध
		जनवरी 2005 तक		जनवरी 2006 तक	
1.	आंध्र प्रदेश	7594.08	4061.94	8749.01	3551.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.53	24.50	64.57	30.18
3.	असम	1912.79	683.36	1697.71	204.06
4.	अंदमान निकोबार द्वीप	20.41	8.03	27.83	13.18
5.	आर्मी पोस्ट ऑफीसेस	498.05	358.21	246.82	45.82
6.	बिहार	3917.90	1728.87	5100.13	1899.86
7.	झारखंड	1948.11	1180.16	2448.75	1204.48
8.	चंडीगढ़	363.23	125.36	728.13	268.24
9.	दमण एवं दीव	26.00	17.06	32.37	12.68
10.	दिल्ली	7189.24	4494.75	6270.25	2814.13
11.	गोवा	478.41	312.00	581.78	371.18
12.	गुजरात	12237.30	6759.11	13859.87	5517.14
13.	हरियाणा	3799.84	1641.75	4249.37	1150.23
14.	हिमाचल प्रदेश	1550.92	649.88	2038.06	618.77
15.	जम्मू व कश्मीर	1031.80	442.15	1350.77	474.75
16.	कर्नाटक	6259.37	3401.03	6809.80	2818.93
17.	केरल	4786.92	2482.41	4996.57	1982.60
18.	लक्षद्वीप	1.12	0.58	1.08	0.00
19.	मध्य प्रदेश	3807.90	2016.31	4543.47	1768.22
20.	छत्तीसगढ़	1243.38	697.73	1388.17	602.39
21.	महाराष्ट्र	17039.76	10382.36	16791.60	7451.31
22.	मणिपुर	60.22	19.91	62.35	14.80
23.	मेघालय	113.73	43.67	136.26	27.92
24.	मिझोरम	70.04	28.23	81.40	17.60
25.	नागालैंड	28.53	14.63	41.74	17.82
26.	उड़ीसा	2088.13	1055.73	2506.49	1007.29
27.	पांडीचेरी	164.50	111.70	172.18	98.94
28.	पंजाब	6639.62	2604.27	7449.08	1969.06
29.	राजस्थान	7182.37	3937.48	6587.48	1840.71
30.	सिक्कीम	44.77	15.95	60.10	15.10
31.	तमिलनाडू	8431.42	4619.17	9631.17	4113.52
32.	त्रिपूरा	303.89	139.89	392.46	155.11
33.	उत्तर प्रदेश	11492.17	5125.95	14515.24	5173.21
34.	उत्तरांचल	1586.67	752.76	1914.15	674.40
35.	पश्चिम बंगाल	14545.18	7964.94	18227.06	8172.66
कुल		128505.30	67901.83	143753.26	56097.11

टिप्पणी डाक विभाग नई दिल्ली से प्राप्त आंकड़े सामन्जस्य अधीन है। इन आंकड़ों में पी.पी.एफ. (बैंक) संग्रहण शामिल नहीं हैं।